# न्यायालय उपायुक्त, खूँटी

अनुसूची -14 फार्म सं0 562

## आदेश पत्रक

अभिलेख हस्तक 1941 नियम -129

विविध पुनरीक्षण वाद सं0 02R15 वर्ष 2014 धारा ..........
ACTR NO 31R15/2015

अपीलकर्ता/प्र0प0/आवेदक — प्रतिवादी/द्वि0प0/विपक्षी

बहुरन महतो वगै० बनाम राम साधुराम वगैरह

| आदेश क्रमांक/तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 26-5-2014 | आवेदक बहुरन महतो वगैरह पिता स्व० चैतन महतो साकिन- बिरहू थाना-खूंटी जिला- खूंटी वर्तमान पता - साकिन- रपा थाना-खूंटी जिला- खूंटी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता खूंटी के न्यायालय के विविध अपील वाद संख्या 01/2014 में दिनांक- 05.05.14 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। दाखिला बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक- 03.06.14 को रखें। 26-5-2014 | |
| 030614 | आवेदक के न्यायार सदस्यों द्वारा उपस्थिति दी गयी है। उपायुक्त अन्य कार्य में व्यस्त हैं। दिनांक 27.06.14 को रखें। प्रभारी पेश० | |

| आदेश क्रमांक /तिथि Order No./Date | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer | आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 20.07.18 | आवेदक एवं विपक्षी द्वारा उपस्थिति दी गयी है। निम्न न्यायालय का अभिलेख संलग्न है<br>दिनांक 08.08.18 को रखें।<br>अपर समाहर्ता | |
| 08.08.18 | आवेदक एवं विपक्षी द्वारा उपस्थिति दी गयी है निम्न न्यायालय का अभिलेख संलग्न है।<br>दिनांक 31.08.18 को रखें।<br>अपर समाहर्ता | |
| 31.08.18 | आवेदक एवं विपक्षी द्वारा उपस्थिति दी गयी है निम्न न्यायालय का अभिलेख संलग्न है।<br>दिनांक 26.09.18 को रखें।<br>अपर समाहर्ता | |
| 26.09.18 | आवेदक एवं विपक्षी द्वारा उपस्थिति दी गयी है निम्न न्यायालय का अभिलेख संलग्न है दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आदेश पारित<br>आदेश अलग से संलग्न है।<br>26/09/18 | |

# न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खूँटी

विविध पुनरीक्षण वाद संख्या – 02R15/2014
**ACTR No- 31R15/2015**

बहुरन महतो वगैरह – आवेदकगण

बनाम्

राम साधु राम वगैरह –विपक्षीगण

## आदेश

09/10/18

प्रस्तुत वाद आवेदक बहुरन महतो, पिता–स्व० चैतन महतो, साकिन–बिरहू, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी, वर्तमान पता–साकिन–रप्पा, थाना–खूँटी ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी के न्यायालय के विविध अपील वाद संख्या–01/13–14 में दिनांक–05.05.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध उपायुक्त, खूँटी के न्यायालय में दिनांक 23.09.2014 को वाद दाखिल किया गया। तत्पश्चात दिनांक 18.08.2015 को अभिलेख पर अग्रेतर कारवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी को हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ। विपक्षी को सूचना निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गयी, जो अभिलेख में संलग्न है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तार पूर्वक बहस किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया, कि उक्त वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी के द्वारा विविध अपील नं0–01/2013–14 में दिनांक–05.05.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। मौजा बिरहू, थाना–खूँटी, जिला–राँची हाल जिला–खूँटी, खाता नं0–169, प्लॉट नं0–2838, रकबा–0.28 एकड़, प्लॉट नं0–2839 रकबा–0.16 एकड़ जमीन को विपक्षी के पूर्वज ने दिनांक 28.03.1920 ई0 को 96/रू0 प्रतिफल लेकर उत्तरवादी के पूर्वज को विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय कर दखल दे दिये एवं खाता नं0–169 कैफियत खाना में गोपीनाथ महतो वो लहरू महतो वो सुखदेव महतो वो काशीनाथ महतो पेसरान मधु महतो का नाम दर्ज हुआ। तब से आवेदक के पूर्वज दखलकार चले आते है। विपक्षी 1. राम साधु राम 2. लक्ष्मण राम 3. भरत राम के पिता गोविन्द तेली वो विपक्षी 4. डहरू महतो के पिता खखन्दु तेली यानी 1. गोविन्द तेली 2. खखन्दु तेली 3. पति तेली सभी के पिता सोबरन महतो ने मौजा बिरहू थाना–खूँटी के खाता नं0–169, प्लॉट नं0–2838 रकबा–0.28 एकड़ वो प्लॉट नं0–2839 रकबा–0.16 एकड़ जमीन को खास दखल पाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी मुंशिफ खूँटी के न्यायालय में टाईटल सुट नं0–10/1933 गोपीनाथ महतो, लहरू महतो, सुखदेव महतो, काशीनाथ महतो, पे0 मधु महतो के खिलाफ दाखिल किया था एवं सुनवाई के बाद वादी के पक्ष में दिनांक 01.09.1933 को फैसला हुआ। तत्पश्चात 1. गोपीनाथ महतो 2. लहरू महतो 3. सुखदेव महतो एवं 4.काशीनाथ महतो पे0 मधु महतो ने टाईटल सुट नं0 10/1933 में अनुमंडल पदाधिकारी मुंशिफ खूँटी के द्वारा पारित फैसला दिनांक 01.09.1933 के खिलाफ माननीय न्यायायुक्त राँची के न्यायालय में टाईटल अपील नं0 127/1933 दाखिल किये एवं उभय पक्षों के सुनवाई के बाद गोपीनाथ महतो द्वारा दाखिल टाईटल अपील को माननीय

न्यायायुक्त राँची ने दिनांक 05.05.1934 ई0 को स्वीकृत किये एवं गोविन्द तेली वगैरह द्वारा दाखिल टाईटल सुट को (Dismissed) खारिज किये। विपक्षी राम साधु राम वगैरह एवं उनके पूर्वज गोविन्द तेली वगैरह ने टाईटल अपील नं0 127/1933 में पारित फैसला दिनांक 05.05. 1934 के खिलाफ द्वितीय अपील दाखिल नहीं किया एवं माननीय न्यायायुक्त रांची द्वारा टाईटल अपील नं0 127/1933 में पारित फैसला अंतिम फैसला हुआ। उपरोक्त जमीन पर आवेदक बहुरन महतो बगैरह एवं उनके पूर्वज गोपीनाथ महतो, लहरू महतो, सुखदेव महतो, काशीनाथ महतो पेसरान मधु महतो 28.03.1920 से 98 साल से लगातार दखलकार चले आते है एवं आवेदक के पूर्वज प्लॉट नं0–2839 में पक्का कुंआ खोदे एवं कुंआ के पानी से खेती के पटावन एवं पानी–पीने के लिए उपयोग करते आ रहे है एवं आवेदक नं0 8 रघुनन्दन राम ने प्लॉट सं०–2839 के अपने हिस्से की जमीन में आवासीय मकान बना कर पूरे परिवार के साथ रहते है। आवेदक बहुरन महतो वगैरह ने दाखिल खारिज के लिए अंचल अधिकारी खूँटी के कार्यालय में आवेदन दिये। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षण द्वारा स्थल जाँच में उपरोक्त भूमि पर आवेदकगण का मकान सहन एवं दखल पाया गया एवं आवेदकगण का आवेदन को दिनांक 30.02.2014 को स्वीकृत किया गया। विपक्षी राम साधु राम वगैरह एवं उनके पूर्वजों का उपरोक्त जमीन में कोई हक दखल सरोकार नहीं था और ना है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी ने आर0 एस0 खाता नं0–169 प्लॉट नं0–2838 रकबा नं0– 0.28 एकड़ के प्लॉट नं0–2839 रकबा–0.16 एकड़ खतियान के कैफियत खाना प्रविष्टि को एवं माननीय न्यायायुक्त, रांची के न्यायालय द्वारा टाईटल अपील नं0–127/1933 में पारित फैसला 05.05. 1934 को एवं हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा स्थल जांच प्रतिवेदन को बिना देखे दिनांक 05.05.2014 को आदेश पारित किया है जो कानूनन ठीक नहीं है एवं फैसला त्रुटीपूर्ण है। आवेदगण द्वारा रिवीजन वाद को स्वीकृत कर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इसके विपरित विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि वर्तमान विविध रिविजन वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा विविध अपील वाद संख्या–01/13–14 (राम साधु राम एवं अन्य बनाम बहुरन महतो वगैरह में दिनांक 05.05. 2014 को पारित आदेष के विरूद्ध दायर किया गया है। जिसमें द्वारा उन्होनें अंचल अधिकारी खूँटी द्वारा विविध वाद संख्या–04/2013–14 के दिनांक 03.02.2014 के आदेश को खारिज करते हुए निर्देश दिया गया कि उपरोक्त अपील में पारित आदेश के आलोक में पंजी में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज करे। वर्तमान विविध रिवीजन वाद में आवेदकों द्वारा निम्न न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उसे खारिज करते हुए, इस विविध रिवीजन को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई। आवेदन में कहा गया है, कि निम्न न्यायालय ने टाईटल अपील 127/1933 में पारित आदेश एवं डिक्री पर विचार नही किया गया। आवेदक द्वारा कहा गया है, कि वे खाता नं0–169 अर्न्तगत प्लॉट नं0–2838 रकबा–0.28 एकड़ एवं प्लॉट नं0–2839 रकबा–0.16 एकड़ के मालिक है। जिसे उनके पूर्वजों ने विपक्षीगण के पूर्वजों से बिक्री पट्टा द्वारा 96 रू0 में लिया था। विपक्षीगण के पिता ने प्रश्नगत भूमि के दखल के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी खूँटी के न्यायालय में हक वाद 10/1933 दायर किया था। जिसमें उन्हें डिक्री मिली परन्तु टाईटल अपील 127/1933 में अपीलीय न्यायालय द्वारा विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी खूँटी के

आदेश को दिनांक 05.05.1934 को खारिज कर दिया। दूसरी और विपक्षगण का कथन है कि मौजा विरहू का रिविजन सर्वे खतियान का अंतिम रूप से प्रकाशन 5 जनवरी 1931 को खाता न0–169 सोबरन महतो वल्द सोहराई महतो के नाम से हुआ। गोपीनाथ महतो एवं अन्य द्वारा सोबरन महतो (विपक्षीगण के दादा) के विरूद्ध धारा–87 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत सेटलमेन्ट ऑफिसर रांची के समक्ष प्रश्नगत भूमि के संबंध में मुकदमा वाद सं0 135/31–32 दायर किया, जिसका निष्पादन उक्त न्यायालय द्वारा 26.05.1933 को किया गया। जिसका उल्लेख संबंधित खतियान में मुताबिक मो0 नं0 135/1931–32 ई0 एतराय दफा 89 छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट दाबी मुदई बनाम गोपीनाथ राम बगैरह निश्वत दरज दोनो खेसरा नं0 2838, 2839 नाम से डीसमील हुआ। इससे स्पष्ट है कि Settlement Officer, Ranchi द्वारा गोपीनाथ राम वगैरह के दावा को दिनांक 26.05.1933 के आदेश द्वारा ही समाप्त कर दिया गया तथा प्रश्नगत भूमि पर विपक्षगण के पूर्वजों के समय से मालिकान हक दखल कायम है और चला आ रहा है। रिवीजन सर्वे खतियान में इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और ना ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप कर इसे परिवर्तन किया गया है। टाईटल अपील 127/1933, जिसका उल्लेख आवेदकगण द्वारा किया गया है। उसमें भी खतियान के संबंध में कोई बात नहीं कही गयी है। इसके विरीत 96 रूपये वाला सादा हुकमनामा सन् 28.03.1920 की बात बार–बार आवेदको द्वारा दुहराई गयी है। उसे टाईटल अपील ने नहीं माना है। इसके अतिरिक्त यह फैसला 1934 का है।

आवेदकों द्वारा 04.10.2013 को अचंल अधिकारी खूँटी कार्यालय में अपने नाम से प्रश्नगत भूमि का दाखिल–खारिल कर रसीद निर्गत करने की प्रार्थना की गयी। अंचल अधिकारी खूँटी ने हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर इस तथ्य को उल्लेखित करने के बावजूद कि पंजी के पृष्ट सं0 156–7 में खााता संख्या–169 एवं 170 के अर्न्तगत कुल रकबा 10.64 एकड़ लगान 2.67 गोविन्द महतो वो खखन्दु महतो वो पति महतो, वो सोबरण महतो के नाम से दर्ज था एवं उतराधिकारी वाद संख्या 153R27/03-04 के अनुसार वर्तमान में बंधनी देवी पति गोविन्द महतो बगैरह के नाम से कायम है, प्रश्नगत भूमि प्लॉट संख्या 2829, 2839 क्रमशः 0.28 एवं 0.16 एकड़ भूमि का जमाबन्दी कायम करने की स्वीकृति दिनांक 03.02.2014 को कर दी। अंचल अधिकारी खूँटी ने पूर्व से पंजी II पृष्ट संख्या 156–7 के इन्द्राज तथा बाद में उतराधिकारी वाद संख्या 153R27/03-04 मे पारित आदेश को अक्षुण रखा है इसमें किसी प्रकार का परिर्वतन नहीं किया गया है और ऐसा माननीय उच्च न्यायालय के अनेको निर्णयों के बाद कर भी नहीं सकते है, फिर भी आवेदको के आवेदन दिनांक 04.10.2013 पर जमाबन्दी कायम करने का आदेश पारित कर दिया। वर्तमान आवेदको द्वारा और ना ही उनके पूर्वजो द्वारा विपक्षी के पूर्वजो के नाम कायम जमाबन्दी का और ना ही विपक्षी की मो0 बधंनी देवी जौजे गोविन्द महतो के पक्ष में वर्ष 2003–04 में पारित आदेश को चुनौती दी गई है। वर्तमान आवेदको द्वारा दोहरा जमाबन्दी की

बात कही गयी है। दोहरा जमाबन्दी कायम करने का अवैधानिक प्रयास इन्ही लोगों के द्वारा की जा रही है। आवेदको द्वारा एक और पुराने टाईटल अपील की दुहाई दी जा रही है और दुसरी ओर सन् 28.03.20 के सादा हुकुमनामा की बात कही जा रही है। विपक्षीगण द्वारा दायर विविध रिविजन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किया गया बहस सुनने, दाखिल लिखित बहस एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है, कि उक्त विवादित जमीन से संबंधित खतियान के खाता नं0 2838 के रकबा–0.28 एकड़ के कॉलम 17 पर "बेआइनी बकब्जे गोपीनाथ महतो वो लहरू महतो वो सुखदेव महतो वो काषीनाथ महतो पेसरान मधु महतो कौम तेली साकिन देह बजरिये खरीद सादा कागज तारिख 28.03.20 मोवलीग 96 छीआनबे रूपये कटहल/1 लकड़ी वो फल बकब्जे काशीनाथ महतो वल्द बेचु महतो वो कटहल लकड़ी वो फल बकब्जे–पती महतो वो जीतु महतो पेसरान जगु महतो बहिस्सा बराबर कौम तेली साकीन देह बास कोठी/2 बकब्जे रैयत/एवं खाता नं0 2839 रकबा 0.16 एकड़ के कॉलम 17 में दर्ज है बास कोठी/6 बकब्जे रैयत बेआइनी कब्जे गोपीनाथ महतो वगैरह बसाह नं0 2838 स्पष्ट रूप से अंकित है। विपक्षी गण का कथन है कि उक्त प्रश्नगत भूमि के दखल के संबंध में विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी खूँटी के न्यायालय में हक वाद 10/1933 दायर किया था। जिसमें उन्हें डिग्री मिली तत्पश्चात उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम पक्ष के पूर्वजों द्वारा माननीय अनुमंडल पदाधिकारी (मुंषिफ) खूँटी के न्यायालय में टाईटल अपील वाद संख्या–127/1933 दायर किया गया। जिसमें प्रथम पक्ष के पूर्वज गोपीनाथ महतो के भूमि बिक्री एवं possession दखल कब्जा को सही ठहराते हुए प्रथम पक्ष के पूर्वज गोपीनाथ महतो के अपील को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज किया है। अंचल अधिकारी खूँटी के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि "प्रश्नगत भूमि पर आवेदकों का मकान सहन है जिस पर उनका दखल पाया गया"।

उक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है, कि आवेदकगण के पूर्वजों द्वारा 28.03.1920 ई0 को 96 रू0 प्रतिफल देकर विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर शांतिपूर्ण दखलकार चले आ रहे है। अतः उक्त के आलोक में दायर विविध पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत किया जाता है। उभय पक्षों को तथा निम्न न्यायालय को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

09/10/18
अपर समाहर्ता
खूँटी

09/10/18
अपर समाहर्ता
खूँटी